IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व एवं सशक्तिकरण : एक विश्लेषण

गरिमा

शोधार्थी, लोक प्रशासन में नेट उत्तीर्ण

राजनीति विज्ञान पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय,पटना

अमूर्त :– पंचायत राज संस्थानोंको ग्रामीण विकास की सभी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जाता है और यह समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है। प्रस्तुत अध्ययन विकेंद्रीकरण प्रक्रिया और भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में पंचायती राजसंस्था में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण पर एक विषयगत समीक्षा प्रस्तुत करता है, जिसमें पंचायत कामकाज स्व – निर्णय लेने की क्षमता, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी, परिवर्तनों के बारे में प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता के स्तर को शामिल किया गया है। उनकी सामाजिक – आर्थिक स्थितियों, पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति और उनकी राजनीतिक भागीदारी में। कमजोर वर्गों के सदस्यों सहित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी में पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सकारात्मक कार्रवाई के कारण काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला नेता कम भ्रष्ट हैं, प्रभावी मूल्य पर समान गुणवत्ता के अधिक सार्वजनिक सामान उपलब्ध कराने में सक्षम हैं और समग्र शासन में सुधार के लिए महिलाओं की प्राथमिकताओं पर विचार करती हैं। इसके विपरीत, अध्ययनों से यह भी पता चला है कि महिला प्रतिनिधि अशिक्षित है विशेषकर ग्राम विकास कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने में वे पतियों और पुरुष अधिकारियों पर निर्भर रहती हैं। समीक्षा से पता चलता है कि पितृसत्तात्मक और जाति– ग्रस्त समाज में महिलाओं के लिए राजनीतिक यात्रा आसान नहीं है, जिसके कारण ग्राम पंचायत में महिला सदस्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरुष प्रतिनिधियों के प्रभुत्व के कारण महिला प्रतिनिधि पंचायत स्तर पर काम करने में सहज नहीं हैं और उन्हें पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में अपनी क्षमता साबित करने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा, यह पाया गया कि पुरुष प्रतिनिधि राजनीतिक गतिविधियों पर अधिक समय बिताते हैं, जबकि महिलाएं घरेलू कामकाज में अधिक समय बिताती हैं। कुल मिलाकर 73वें संशोधन के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई ने महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्तिकरण की भावना दी है, हालांकि उन्हें अभी भी संतुलन स्तर तक पहुंचना बाकी है। जैसा कि कई शोधकर्ताओं ने माना है, अगले दशक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति, नेतृत्व भूमिका, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्तर और राजनीतिक जागरूकता और उपलब्धि में और प्रगति करने के लिए बाध्य हैं।

मुख्य शब्द :– रूपंचायती राज, महिला,सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, आरक्षण।

परिचय :–

"महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है। "देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।" एक बार जब महिला कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है"। – स्वामी विवेकानंद

पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। यह मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। केन्द्र तथा राज्य शासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की निचले स्तर की लोकतान्त्रिक मान्यतायें शक्तिशाली न हो। लोकतंत्रीय राजनीति व्यवस्था में पंचायती राज ही को सामान्य जन के वह माध्यम है जो शासन दरवाजे तक लाता है। इस व्यवस्था में लोग विकास कार्यों के साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय पद्धति के द्वारा आसानी से करने का प्रयास करते है। इससे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों के संचालन का स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण स्वतः प्राप्त होता है। ये स्थानिय जनप्रतिनिधि ही कालान्तर में विधानसभा एवम् संसद का

प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व प्रदान करते है। अतः रू पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्र को विकसित कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लोकतंत्र सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है, जबकि पंचायत राज संस्थान (पीआरआई) इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की गारंटी देता है। अधिक लैंगिक समानता किसी भी लोकतंत्र में महिलाओं की सफल भागीदारी की कुंजी है। केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार में समान अवसर प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले दो दशकों में भारत में महिलाओं की स्थिति में कई बदलाव आये हैं। जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई, तो महात्मा गांधी ने कहारू 'जब तक भारत की महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेतीं, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकताय विकेंद्रीकरण का सपना कभी पूरा नहीं हो सका मेरे लिए उस तरह का स्वराज किसी काम का नहीं, जिसमें ऐसी महिलाओं ने अपना पूरा योगदान न दिया हो' (उषा, 1999)। लैंगिक असमानता एक प्रमुख चिंता का विषय है और भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन्हें सही अर्थों में सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई हस्तक्षेप कार्यक्रमों में लगी हुई है।

महिला सशक्तिकरण समाज में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की प्रक्रिया है जिससे उन्हें सम्मानजनक और सम्मानित जीवन मिलता है। महिला सशक्तिकरण प्रमोटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। 73वां संवैधानिक संशोधन मुख्यतः दो कारणों से एक मील का पत्थर है इसने स्थानीय सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान की और इसने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। यह महिलाओं के लिए पंचायत सीटों में 33 प्रतिशत (कुल संख्या का एक तिहाई) आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटें भी प्रदान करता है। पंचायतों के अध्यक्षों के पदों का समान अनुपात (एक तिहाई) महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वर्तमान में पीआरआई स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 50ः निर्धारित है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

पंचायती राज के संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिये किये गये सरकारी प्रयासों का अवलोकन करना और इससे संबंधित अन्य कार्यक्रम आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत करना का उद्देश्य है।

तथ्यों का संकलन :–

तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक श्रोतों का सहयोग लिया है। विभिन्न शोध पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं आदि के महत्वपूर्ण तथ्यों का भी किया गया है।

पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप :–

पंचायती संस्थाए लोकतंत्र का मूल आधार है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबकि देश के निचले स्तरों तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार किया जाये एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वतन्त्राता प्राप्त हो। वस्तुतः ये संस्थायें ही लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति हैं। स्थानीय संस्थायें सरकार के दूसरे अंगों से बढ़कर को लोकतंत्रता की सुरक्षा देती है। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व–निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जाते अच्छी शासन–व्यवस्था के मुख्य लक्ष्यों के अन्तर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान बनाने हेतु जन आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन समस्याओं का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधरों की निरन्तरता, वितरणात्मक न्याय एवं मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल हैं। [1] पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि ग्रामीण उद्योगों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम, पशु संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का उचित प्रबन्धन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करना भी पंचायती राज का मौलिक उद्देश्य है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में उदारवादी लोकतन्त्र अपनाया। भारतीय लोकतन्त्र पूर्णतः ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, किन्तु इसमें कुछ भारतीय मूल्यों का भी समावेश किया गया है। प्राचीन काल में जिस पंचायती राज की व्यवस्था का विकास हुआ था, उसका स्वरूप राजनीतिक कम, सामाजिक अधिक था। ग्राम पंचायतें गाँवों के सम्पूर्ण जीवन को दिशा देती थीं तथा भारतीय ग्रामीण जीवन स्वावलम्बी था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने गाँवों में पंचायतों को पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित करने की संविधान में व्यवस्था की।

संविधान में एक निर्देश समाविष्ट किया गया, "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो इस अनुच्छेद का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु राज्यों की निर्देशित करना हैं 5, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी राज्य को स्थानीय परिषद के स्तर पर लोकतंत्रता की स्थापना की सलाह दी एवं यह संप्रीक्षित किया कि "हम भारत के लोग" शब्द मात्रा एक संवैधानिक मंत्र ही नहीं है, वरन् इसका तात्पर्य पंचायत स्तर से प्रारम्भ होकर उपरी स्तर तक के उन लोगों से है जो "भारत की शक्ति के धारक है" आरम्भ में गाँवों एवं नगरों के सामाजिक,

आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में इन संस्थाओं की सक्रिय भूमिका रही, लेकिन कालांतर में ये संस्थायें निष्क्रिय होती चली गईं एक समय ऐसा आया कि ये संस्थायें मृत प्रायः सी हो गईं एक तरफ लंबे समय तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए तो दूसरी तरफ महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया इसका मुख्य कारण राज्यों में छिन्न–भिन्न कानून होना और उन पर केन्द्र का नियन्त्रण न होना रहां संविधान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का नीति–निर्देशक तत्व सुनिश्चित होते हुए भी ये संस्थायें उपेक्षित सी रहीं अतएव इन्हें संवैधनिक दर्जा देने की आवश्यकता अनुभव की गई इसके लिए सन् 1989 में 64वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज विधेयक लाया गया पर वह पारित नहीं हो सकां अंततः संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधनिक दर्जा प्रदान किया गया । 6, पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य एवं भारतीय सन्दर्भ में इसके विकास के संक्षिप्त विवरण के साथ–साथ पंचायती राज में की भूमिका के विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान हैं विश्व आज परिवर्तनों की ऐसी दहलीज पर खड़ा है, जहाँ उसे चयन और चुनौतियों की व्यूह रचना का सामना करना पड़ रहा हैं विश्व को आज मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों की प्रकार के परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा हैं मात्रात्मक परिवर्तनों का सम्बन्ध आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ है, जबकि गुणात्मक परिवर्तनों का सम्बन्ध भिन्न मूल्यों और लोकाचार से अनुशासित नये समाज के प्रतिमान के साथ है, जहाँ मनुष्य 'परभक्षी', प्रदूषक और उपभोक्ता की बजाय 'संरक्षक तथा उत्पादक' की भूमिका का निर्वाह करें इन परिस्थितियों में, महिलाओं से इस शताब्दी के अन्तिम दौर में एक विशेष प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जा रही हैं महिलाओं के बारे में अध्ययनों और आंदोलनों का केन्द्र बिन्दु अब मानव हित में 'नारी–मुक्ति' से हट कर 'महिलाओं को अधिकार' देने पर केंद्रित हो गया हैं। । विकास और आधुनिकीकरण के साथ–साथ लिंग समानता की अवधरणा को सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख मुद्दा माना जा रहा हैं महिलाओं को न केवल आर्थिक विकास में समान भागीदारी बनाने पर बल दिया जा रहा है, अपितु इन्हें प्रत्येक मोर्चे पर 'समान' समझने की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं इसके साथ–साथ महिलाओं की पुरूषों के समान राजनीतिक सहभागिता का प्रश्न भी विश्व की आधुनिक सभ्यता का सर्वप्रिय चर्चित विषय हैं।

भारत ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित करके नई सहस्राब्दी को चिह्नित किया है। विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के तहत लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण लक्ष्यों (लक्ष्य–3) में से एक माना जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व और लिंग शासन को बढ़ावा देने के लिए बाहरी एजेंसी (यूएनडीपी) से वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2011 में एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यक्रम लागू की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय पीआरआई में महिलाओं की समान राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना और बढ़ाना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2012 के अनुसार, आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, राजनीतिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और अस्तित्व (हौसमैन, एट अल 2012) के समग्र सूचकांक के आधार पर भारत का स्थान 135 देशों में से 105 वां है। स्थानीय निकायों में आरक्षण से मदद मिलती है. महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने और उनके मुद्दों और चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन पुरुष समाज द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं किया गया है। महिला सशक्तिकरण अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। पीआरआई में महिलाओं के लिए हाल ही में प्रस्तावित एक तिहाई सीटों या आधी सीटों का आरक्षण उनके सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्यादातर मामलों में महिलाएं गृहिणी और प्रतिनिधि होती हैं जो पहली बार राजनीति में आई हैं। संकीर्ण सोच वाली संस्कृति, पितृसत्तात्मक समाज और शिक्षा का निम्न स्तर इसके कारण हैं।ग्रामीण स्थानीय निकायों (रशिमी) में उनकी कम राजनीतिक भागीदारी के लिए जिम्मेदार बताया गया है।(1997, दहलरूप 2005, गोछायत 2013)।

"दलित लंबे समय से गरीबी और अभाव में फंसे हुए हैं। वे गरीबी, अभाव और ऋण बंधन के शिकार हैं। बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में उन सभी गतिशील गुणों का अभाव है जो सामाजिक – आर्थिक विकास का समर्थन, रखरखाव और गति प्रदान करते हैं। सशक्तिकरण के लिए सभी बाधाओं को दूर करना एक पूर्व शर्त है। दलितों को सामाजिक संसाधनों में उनका उचित हिस्सा और पहुंच मिलनी चाहिए।हालाँकि विकास प्रक्रिया ने असमानता की घनी संरचना में थोड़ी सेंध लगाई है, लेकिन असहायता और निष्क्रियता की स्थिति को आशा और कार्रवाई की स्थिति में बदलने के लिए सशक्तिकरण को विकसित करना होगा। इसे असमानता, अन्याय और शोषण की इमारत को ध्वस्त करने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक गतिशीलता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह किसी के व्यक्तित्व में आमूल–चूल परिवर्तन लाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रचलित चीजों के प्रति एक नया दृष्टिकोण सामने आता है। पंचायती राज में नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की सभी संभावनाएं मौजूद हैं। यह जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करता है। कई स्थानों पर, यह अपने भविष्य को आकार देने के लिए हाशिए पर रहने वाले समूहों की मुक्ति, शिक्षा और सामूहिक हस्तक्षेप और आलोचनात्मक सोच का एक साधन रहा है।

संवैधानिक प्रावधान :–

जमीनी स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के सुनिश्चित प्रवेश के स्रोत हैं

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (3) जो राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। संवैधानिक अधिदेश इस तथ्य की मान्यता है कि भारत में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

2. 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत, संविधान के अनुच्छेद 243 डी का खंड (3) यह सुनिश्चित करता है कि सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) से कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पूरा किया जाने वाला प्रावधान महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। फिर संविधान के अनुच्छेद 243 डी के खंड (4) में कहा गया है कि गांव या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए उसी तरह आरक्षित होंगे जैसे किसी राज्य के विधानमंडल में होते हैं। कानून द्वारा यह प्रावधान किया जा सकता हैरू बशर्ते कि किसी भी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या, ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या के लगभग समान अनुपात में हो सकती है। पंचायतें. बशर्ते कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, अप्रैल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया। जिसमें देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सन्तुलन आये। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड (9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 243 (5) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243(द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (घ) में यह उपबन्ध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण कर सकेगा तथा राज्य किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों या पदों का आरक्षण कर सकेगा। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और केरल ने पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50ः कर दिया है।

पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका :–

शुरू से ही कई भारतीय गांवों की रीढ़ रही है। महात्मा गांधी हमेशा पंचायत राज के समर्थन में थे और उनका सपना 73 वें संशोधन अधिनियम के साथ साकार हुआ, जिसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है । यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित महिलाओं को कुल एक तिहाई सीटें प्रदान करता है। इसने के कुल पदों में से एक–तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया।

पंचायत में महिलाओं की भूमिका इस प्रकार हैः

- चुनाव में भागीदारी
- ग्रामीण विकास में भागीदारी
- निर्णय लेने में भागीदारी
- सामाजिक क्रांति एजेंट
- भ्रष्टाचार कम करना दलितों के खिलाफ हिंसा में कमी

पंचायत राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने में महिलाओं को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे हैं–

- पंचायतों में राजनीतिक हस्तक्षेप मौजूद है
- महिलाओं को पुरुषों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है
- पति निर्वाचित महिलाओं का हस्तक्षेप लेता है और उसकी ओर से कार्य करता है
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव हैय उनके पास जो अधिकार हैं
- सभी नकारात्मक जनमत
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा का अभाव
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव
- महिलाओं को उनके अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए उनके विरुद्ध हिंसाके खिलाफ हिंसा को कम करना
- सहभागी लोकतंत्र का अभ्यास करना

पंचायत राज संस्था में महिला सशक्तिकरण :–

अतः 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में अनुसूचित, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित है। लोगों को स्वेच्छा से महिलाओं के लिए किए गए इस आरक्षण को स्वीकार करना होगा और समाज में महिलाओं की स्थिति का सम्मान करना होगा जो पुरुषों से कम नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और आपसी समझ के साथ गतिविधियों में भागीदारी की हमारी जीत को आगे बढ़ाने के लिए नई नीतियां बनाई जानी चाहिए।

पंचायत राज संस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए की गई पहल हैं–

- अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
- सभी निर्वाचित नेताओं को दिशानिर्देशों का पालन करने और ग्रामीणों को पीआरआई– अधिनियम के बारे में शिक्षित करने के लिए न्यूनतम साक्षरता होनी चाहिए।
- महिलाओं को शासन के बारे में शिक्षित करने और इन क्षेत्रों में महिलाओं की उच्च भागीदारी बढ़ाने के लिए साक्षरता एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
- यात्रा को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं में नेतृत्व और संचार कौशल विकसित करना।
- उन्हें बोलने के लिए प्रशिक्षित करें और पंचायत अधिकारों का दावा करने के लिए स्थानीय स्वशासन के साथ जुड़ने के साधन खोजें।
- महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए की गई सुविधाओं और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करना।
- सभी सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़कर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना और प्रेरित करना।

पंचायती राज में अनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीतिक भागीदारी :–

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वीं संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। प्रस्तुत अध्ययन ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर आए अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन में विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक प्रस्थिति को उल्लेखित किया गया है। इसी क्रम में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायत राज व्यवस्था रही है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब समूहों में रहना सीखा पंचायती राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आए हैं। इस व्यवस्था को विभिन्न कालों में अलग–अलग नामों से पुकारा जाता रहा कभी वे गणराज्य कहलाए, कभी नगर शासन व्यवस्था और कभी किसी अन्य नाम से उनकी पहचान हुई, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ रहने मिलजुल कर काम करने और अपनी तात्कालिक समस्याओं को अपने आप सुलझाने की प्रवृत्तिविकसित होती रही। सहकारिता और आत्म निर्भरता या स्वाबलंबन इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कीमहात्मा गांधी स्वतंत्र भारत में एक मजबूत पंचायतीराज शासन पद्धति का स्वप्न संजोया था जिसमें शासन कार्य की सबसे प्रथम इकाई पंचायतें होगी। उनकी कल्पना पंचायतों की शासन व्यवस्था की धूरी होने के साथ ही आत्मनिर्भर पूर्णतया स्वायत्त और स्वावलंबी होने की थी। स्वतंत्रता के पश्चात् महात्मा गाँधी की इस परिकल्पना को साकार करने हेतु समय–समय पर प्रयास किये गए। कभी ग्रामीण विकास के नामपर और कभी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतंत्र का मूल आधार मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता रहा। अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग तरह के प्रयोग इसके लिए चले। कुछ असफल रहे तो कुछ सफलरहे और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बने लेकिन पूरे देश में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बुनियादी स्तर पर पंचायतीराज की स्थापना और जनता के हाथ में, सीधे अधिकार देने की शुरूआत संविधान के 73वें संविधान अधिनियम के माध्यम से संभव हुई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

पंचायती राज में अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व का उद्देश्य :–

1. अनुसूचित जाति वर्ग के महिला नेतृत्व की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना जिर मुख्यतः उम्र, परिवार का आकार, शिक्षा, परिवार का आर्थिक स्तर, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।

2. पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में महिला नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता लगाना तथा नवीन पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जानकारी, पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया, आरक्षण की व्यवस्था, पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार एवं कर्त्तव्य, पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रामीण विकास के संदर्भ में सोच, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की दिशा में प्रतिनिधियों की सजगता का स्तर पंचायतीराज की कार्य प्रणाली की जानकारी, कार्य करने में आने वाली बाधाएँ इत्यादि।

3. अनुसूचित जाति महिला वर्ग की राजनीतिक सजगता एवं अभिरूचि का मूल्यांकन करना तथा दलीय संबधता राजनीतिक पृष्ठभूमि, स्थानीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण समाज के पिछड़े एवं दलित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य योजना प्रशासन से संबंध, राजनीतिक महत्वकांक्षा, अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व की इच्छा शक्ति आदि।

एस. एस. ढिल्लन (1955) ने दक्षिण भारतीय ग्रामों में नेतृत्व एवं वर्ग संबंधी अध्ययन किया। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में मुख्य तीन रूप से तीन तत्व प्रभावी होते हैं प्रथम परिवार का उच्च सामाजिक स्तर, द्वितीय परिवार का आर्थिक स्तर, तृतीय व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लक्षण।उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन से संबंधित अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण धन पारिवारिक प्रतिष्ठा, आयु व्यक्तित्व के लक्षण, शिक्षा, नेतृत्व से मेलजोल एवं प्रभाव, पारिवारिक प्रभावशीलता एवं वंश आदि तत्वों पर निर्भर करता है।

पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं स्थानीय नेतृत्व संबंधी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं उच्च स्तर के नेतृत्व के बीच नए प्रकार के राजनीतिक संबंध विकसित हुए है, जिसके तहत पंचायती स्तर को नेतृत्व उच्च स्तर के नेतृत्व के लिए वोट बैंक के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है, एवं इस प्रकार से सौदेबाजी की एक नई राजनीति का प्रचलन हुआ है।

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में नवीन पंचायतीराज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इस व्यवस्था के अनुरूप ही मध्यप्रदेश में पंचायत राज का विधान बना तथा पंचायतीराज संस्थाओं का गठन हुआ। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआहै। पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की स्वायत्त इकाईयों बनाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं को अधिकार, शक्तियों एवं कर्तव्य प्राप्त हुए।अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की सामाजिक–आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति की वास्तविक स्थिति का ही प्रतिनिधित्व करती है। अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से आया है। उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। अनुसूचित जाति के इन नेताओं, सरपंचों के उत्तरों को समग्र रूप से देखा जाये। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है। अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की पंचायतों में राजग एवं जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होंगी।

समस्याएं

समय–समय पर कुछ मुद्दों पर सरकारी और गैर सरकारी लोगों में समुचित तालमेल स्थापित नहीं होता है। अर्थात् विवाद उभरते रहते हैं जो कि आज के विशेषीकरण के युग में कार्य निर्भरता को प्रभावित करते है।

- पंचायत संस्थाओं की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार भी ग्रामीण विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- ग्राम पंचायतों के पास समुचित प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का अभाव होता है। जिससे वें विकास कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाती है।
- चुनकर आ रही महिलाओं में अपने स्तर पर यह मानसिकता बनी हुई है कि राजनीति पुरूषों का क्षेत्र है जिससे अपना स्थान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है।
- महिला प्रतिनिधियों को अपने राजनीति में कदम रखने या निर्वाचित होने का उद्देश्य का ज्ञान होना भी उनके राजनीति संबंधी सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करता है।

सुझाव–

किसी भी शोध में सुझावों का विशेष महत्व होता है। ये ही वे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा समस्याओं के निराकरण का मार्ग खोजा जाता है। ये बताते हैं कि पूरे शोध कार्य के दौरान कौन से तथ्य निकलकर सामने आये और आगे समस्याओं के निराकरण हेतु और क्या उपाय किये जा सकते हैं। शोधकार्य पर आधारित सुझावों द्वारा समसामयिक ज्वलन्त मुद्दों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु नीतियाँ व कार्यक्रमों को बनाकर लागू किया जा सकता हैं। ये सुझाव भविष्य में होने वाले शोध कार्यों एवं नीतियों व कार्यक्रमों को पथ–प्रदर्शन प्रदान कर सकतें हैं। सुझावों द्वारा आगे के शोध कार्यों को गति प्रदान की जा सकती है। प्रस्तुत शोध से प्राप्त अनुभवों एवं विकसित अर्न्तदृष्टि के आधार पर शोधार्थी द्वारा अग्रलिखित सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की जातीं हैं

- पंचायत चुनावों में महिला जनप्रतिनिधियों को उम्मीदवार बनाने से पूर्व उनकी राय जान लेना चाहिये अर्थात क्या महिला सदस्य अपनी मर्जी (स्वेच्छा) से चुनाव लड़ना चाहती हैं और क्या वे जीत के पश्चात् पूर्ण समर्पण की भावना से अपने दायित्वों का निर्वाह कर पायेंगी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों, दायित्वों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में भली – भाँति शिक्षित – प्रशिक्षित किया जाना चाहिये जिसमें महिला प्रतिनिधि ही हिस्सा लें उनके परिवार के सदस्य व संरक्षक नहीं।
- महिला को व्यवहारिक तरीकों से उनके कार्यों आदि की जानकारी दी जानी चाहिए।
- अशिक्षित एवं कम शिक्षित महिला जनप्रतिनिधियों को दृश्य – श्रव्य माध्यमों का प्रयोग कर पद सम्बन्धी जानकारी दी जानी चाहिये।

- पुरुषों द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन स्वयं करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। इसमें वे परिवार के सदस्यों का सहयोग तो ले सकती हैं परन्तु किसी भी हाल में उनके दायित्वों का निर्वहन उनके परिवार अथवा संरक्षकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।
- सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे महिला जन प्रतिनिधियों से सहज एवं स्थानीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर सहयोग प्रदान करें।
- पंचायत द्वारा समय–समय पर महिला नेतृत्व के प्रति पुरुषों की सहभागिता का आकलन किया जाना चाहिए।
- महिला प्रतिनिधियों को स्वयं कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उनके कार्यों की प्रशंसा की जाना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली सभाओं में सामूहिक परिचर्चा आहूत करायी जानी चाहिये ताकि महिला नेतृत्व के प्रति लोग एक – दूसरे से अपने अनुभवों को बाँट सकें।
- पंचायत स्तर पर बुलेटिन प्रसारित कर पंचायत के कार्यों की चर्चा की जानी चाहिए महिला सदस्यों के कार्यकलापों पर विशेष चर्चा होनी चाहिए।
- पंचायत में योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने लागू करने में गैर सरकारीसंगठनों का भी भरपूर सहयोग लिया जाना चाहिए।
- समाज में महिला नेतृत्व के प्रति जागरूकता फैलायी जानी चाहिए जिससे महिलाएं आगे बढ़कर अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु कृत संकल्प हो तथा रास्ते में आने वाली रूकावटों का डटकर मुकाबला करने का साहस पैदा हो।
- सरकारी स्तर पर सर्वशिक्षा हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं उनके प्रति जनजागरण किया जाना चाहिये जिसमें बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि सुदृढ़ पीढ़ी के निर्माण के साथ ही समाज व राष्ट्र का विकास सम्भव हो सके। पंचायत के प्रत्येक स्तर पर विशेष कर ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षित समाजिक कार्यकर्ताओं को सेवायोजित किया जाना चाहिये क्योंकि –
- सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बीच महिला नेतृत्व के प्रति सहयोगी, पथ – प्रदर्शक, विशेषज्ञ, परामर्शदाता बनकर सहयोग प्रदान कर सकतें है।
- सामाजिक कार्यकर्ता पंचायती राज के विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर कार्य कर सकते हैं।
- सामाजिक कार्यकर्ता महिला जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व, कर्तव्यों एवं कार्य करने हेतु जागरुकता प्रदान कर सकते हैं।
- सामाजिक कार्यकर्ता इन सेवा प्रदाताओं को समग्र रूप से सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि महिलाओं के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है या नहीं। राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है जिससे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अध्ययन ने महिला सशक्तीकरण पर लिंग कोटा के कई प्रभावों पर एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित किया और उन कारकों का पता लगाया जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश और भागीदारी को सुविधाजनक और प्रतिबंधित करते हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर लिंग कोटा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नौ अवधारणाएँ तैयार की गईं जिनमें शामिल थींरू राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक रुचि, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक संपर्क, राजनीतिक विरोध, लिंग भूमिका रवैया, सार्वजनिक परियोजनाएँ और आत्मविश्वास। वर्तमान अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि लिंग कोटा का महिलाओं के राजनीतिक ज्ञान पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को राजनीतिक गतिविधियों और पंचायत कार्यों के बारे में अच्छी जानकारी होती है और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं राजनीतिक कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक ज्ञान के साथ – साथ महिलाओं की राजनीति में रुचि भी बढ़ी है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस अर्थ में आरक्षण का सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं के आत्मविश्वास पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है जो न केवल राजनीति के लिए बल्कि महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस प्रणाली ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक दृश्यमान हो गई हैं और अपने लोगों की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने का आत्मविश्वास प्राप्त किया है। महिला आरक्षण प्रणाली भी शराबबंदी, दहेज विवाद, तलाक और लड़कियों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विरोध करने में महिलाओं के लिए सहायक रही है। लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं

जहां ऐसा लगता है कि आरक्षण बहुत प्रभावी नहीं रहा है. जहां तक राजनीतिक भागीदारी का सवाल है, वर्तमान अध्ययन में समग्र संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाएं भागीदारी तकनीकों के बारे में जानने के लिए बहुत

उत्सुक हैं लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के संबंध में अभी भी एक बड़ा अंतर पाटना बाकी है। जैसा कि हम आंकड़ों से देख सकते हैं, आरक्षण के परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों में राजनीतिक विश्वास नहीं बढ़ा है, हालाँकि इन महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा है। इसके पीछे का कारण, जैसा कि महिला प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में पाया गया, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां राजनीतिक दल आरक्षण के कारण एक महिला को नामांकित करने के लिए बाध्य हैं और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पार्टी के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। इसी तरह का परिणाम राजनीतिक संपर्कों की श्रेणी में पाया जा सकता है जहां डेटा से पता चलता है कि लिंग कोटा। ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था महिलाओं के राजनीतिक संपर्कों पर सकारात्मक प्रभाव डालने से कोसों दूर है।

वर्तमान अध्ययन का मुख्य योगदान यह है कि यह एक नई श्रेणी जोड़कर सशक्तिकरण पर आरक्षण के प्रभाव को मापने के लिए एक अलग आयाम सुझाता है जिस पर पिछले शोधकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया हैरू महिला प्रतिनिधियों द्वारा शुरू की गई नई सार्वजनिक परियोजनाओं की शुरुआत। अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि इन महिला प्रतिनिधियों ने पंचायतों की नियमित गतिविधियों के अलावा कुछ सार्वजनिक परियोजनाएं शुरू करने की कोशिश की है लेकिन सरकार से समर्थन की आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिक धन मिल सके। राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक भूमिका के दृष्टिकोण के संबंध में महिला प्रतिनिधियों ने संकेत दिया कि उन्हें लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में उनके साथ पुरुषों के बराबर व्यवहार नहीं किया जाता है। इन महिलाओं के मुताबिक पुरुष उन्हें कोई महत्व नहीं देते थे और महिलाओं को कभी इस बारे में बताया नहीं जाता था।

जब उन कारकों के बारे में पूछा गया जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को सुविधाजनक बनाते हैं, तो महिला सदस्यों ने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो उन्हें राजनीतिक जीवन में आगे आने के लिए प्रेरित और सुविधाजनक बनाता है। दूसरे, ये महिलाएं. उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें आने की प्रेरणा उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से मिली राजनीति। इन महिलाओं को घर की समय लेने वाली जिम्मेदारियों को साझा करने में अक्सर अपने पति की मदद की आवश्यकता होती है।

महिलाओं के राजनीतिक प्रवेश और भागीदारी के दौरान बाधाओं या बाधाओं का मूल्यांकन श्वेदोवा (2005) द्वारा निर्मित तीन व्यापक अवधारणाओं का उपयोग करके किया गया था। ये तीन अवधारणाएँ हैं सामाजिक – आर्थिक बाधाएँ, मनोवैज्ञानिक वैचारिक बाधाएँ और राजनीतिक संस्थागत बाधाएँ। जहां तक सामाजिक– आर्थिक बाधाओं का सवाल है, वर्तमान अध्ययन में कुछ ऐसी ही बाधाओं का पता चला है जिनका वर्णन श्वेदोवा ने किया है। इनमें गरीबी और बेरोजगारी शामिल हैं पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमीय निरक्षरता और शिक्षा तक सीमित पहुंच। और व्यवसायों की पसंदय और घरेलू कार्यों और व्यावसायिक दायित्वों का दोहरा बोझ। जबकि मनोवैज्ञानिक वैचारिक बाधाएं आत्मविश्वास की कमी, पारंपरिक मानदंड, अपने परिवेश के प्रति नकारात्मक रवैया और मीडिया के ध्यान की कमी से संबंधित हैं, जो स्पष्ट रूप से श्वेदोवा के काम का समर्थन करते हैं। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि जिन महिलाओं ने अपनी पहल पर चुनाव लड़ा, उन्हें अपने पति या परिवार के सदस्यों की पहल पर चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की तुलना में परिवार के भीतर और बाहर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजनीतिकध संस्थागत बाधाओं की श्रेणी में वर्तमान अध्ययन एक और बाधा का सुझाव देता है जो श्वेदोवा की बाधाओं के अलावा प्रचलित राजनीतिक संस्कृति है जिसमें राजनीतिक दल की भूमिका, चुनावी प्रणाली का प्रकार और महिलाओं की भूमिका शामिल है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। विभिन्न आर्थिक सामाजिक राजनीतिक नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन अभी भी कुछ कमियाँ दूर की जानी बाकी हैं। वर्तमान अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित करता है।

यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन हो सकता है भारत ग्रामीण स्तर पर है लेकिन यह निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी की गारंटी नहीं है। महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य केवल आरक्षण से पूरा नहीं होगा, और उत्तरदाताओं ने कई बाधाओं की पहचान की है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश और भागीदारी के लिए सुविधाजनक कारकों की तुलना में अधिक निरोधक कारक हैं, और यह जानना भी उतना ही दिलचस्प है कि निरोधक कारक इतने सारे और इतने विविध हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। एक संरचना, जो सदियों से बनाई गई है, उसे थोड़े समय में नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को तेज और तेज करने के लिए कुछ पूरक नीतियों को लागू करना आवश्यक है जो महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करें, महिलाओं की क्षमताओं का निर्माण करें और परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करें। मौजूदा लिंग संबंधों, सत्ता वितरण के कई पहलुओं को बदलने और सत्ता – बंटवारे से संबंधित कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालाँकि यह दावा नहीं किया जा सकता है कि इन आरक्षणों के बावजूद महिलाएँ स्पष्ट रूप से सशक्त हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोटा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उन्हें कुछ हद तक अधिकार और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। इस संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि कोटा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक व्यवहार्य उपकरण हो सकता है।

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने एवं महिलाओं के रचनात्मक सकारात्मक सहयोग एवं भागीदारी को प्राप्त करने तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन क्षेत्र को बनाने हेतु दिये गये इन सुझावों के माध्यम से पंचायती राज की मौलिक सोच व विकेन्द्रीकरण की वस्तुस्थिति को यथार्थ में प्राप्त किया जा सकता हैं। इस प्रकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हेतु एक तिहाई आरक्षण संबंधित प्रावधान उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने के साथ ही उनके साथ समुचित न्याय करता है। अतः प्रस्तावित शोध के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने के लिए जो सुझाव दिये गये है यदि उनका निश्चित दिशा में समुचित रूप से पालन किया जाये तो विश्वास है कि महिलाओं की राजनीतिक एवं सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आयेगें।

संदर्भ सूची

1. जैन, प्रकाश (1993), "पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व" कुरुक्षेत्र नवम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नइ दिल्ली।
2. सिंह, अशोक कुमार (1994), "ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम", योजना, नई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. ईस्टर्न बुक कम्पनी (1997), "भारत का संविधान", ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ। कुंवर, नीलिमा मिश्रा, स्वेता (1997), "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता" कुरुक्षेत्र, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार,नई दिल्ली।
4. एवं कनोजिया, सीमा (1988) "पंचायती राज में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका" कुरुक्षेत्र, सितम्बर, प्रकाशन विभाग,
5. भारत सरकार, नई दिल्ली। पाँडा, स्नेहलता (1998) "पंचायतों में महिलाओं की भूमिका", योजना, अक्तूबर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. यतीन्द्र सिंह "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और महिलाओं का सशक्तिकरण", कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन
7. विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। शरण, श्रीवल्लभ (1998), "पंचायतों में महिलाएँरू जरूरत है सक्रिय भूमिका की", कुरुक्षेत्र अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारतसरकार नई दिल्ली।
8. कौर, सिमरन (1999) "ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता", कुरुक्षेत्र दिसम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. चोपड़ा डॉ सरोज (2000) "स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
10. सिंह, वी.एन. (2000), "ग्रामीण समाजशास्त्र" विवेक प्रकाशन, दिल्ली।